राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.4 (300)स्टा/फ्रैक/ 10/1498 दिनांक : 29/10/2010

आदेश

विषय :- फ्रैकिग मशीन के माध्यम से Instrument पर स्टाम्प ड्यूटी फ्रैक करने के सम्बन्ध में।

....

राज्य में राजस्थान स्टाम्प रूल्स 2004 के नियम 12(1) के अन्तर्गत तथा फ्रैकिग मशीन नियमावली के आदेश दिनांक 03.10.05 के नियम 4(1) के अन्तर्गत फ्रैकिग अनुज्ञा पत्रधारी द्वारा दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी फ्रैक किये जाने की कार्यवाही की जानी होती है। खाली कागज पर भी फ्रैकिग का कार्य करना नियम विरूद्ध है।

अतः इस क्रम में यह आदेशित किया जाता है कि लिखे गए दस्तावेजों पर ही स्टाम्प ड्यूटी फ्रैक किये जाने की कार्यवाही की जावें। खाली कागज पर किसी भी प्रकार का कोई फ्रैक नहीं किया जावे। ऐसा पाए जाने पर शीघ्र कठोर कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए फ्रैकिगकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

अतः इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही करें।

महानिरीक्षक, 29/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ 4 (300)/स्टा/फ्रैक/10/ 1499-1915 दिनांक :- 29.10.2010
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौघोगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की बेवसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड़ हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए 5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त कलक्टर (स्टाम्पस) जयपुर एवंम् समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) राजस्थान। को यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं अपने-अपने क्षेत्र में फ्रैकिग करने वाली संस्थाओं का प्रभावी निरीक्षण कर सुनिश्चित् करें कि फ्रैकिग लिखित दस्तावेजों पर ही होती है तथा सादे कागज पर नहीं। समस्त उप पंजीयकों से भी उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित् करावे।
8. समस्त उप पंजीयक राजस्थान।
9. आदेश की प्रति समस्त फ्रैकिग अनुज्ञा पत्रधारियों (..) को देकर यह निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित् करे कि नियमानुसार लिखित दस्तावेजों पर ही स्टाम्प ड्यूटी फ्रैक किये जाने की कार्यवाही हो; खाली पेपर पर किसी भी प्रकार की कोई स्टाम्प ड्यूटी फ्रैक नहीं हो।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) वृत-जयपुर/जोधुपर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

महानिरीक्षक 29/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राज. अजमेर।